190

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED

20

समक्ष श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्र. I/ निगरानी/ सिवनी/भू.रा/2018/1004 प्रस्तुत दिनांक

महाजन पिता झम्मू जाति कतिया उम्र 67 वर्ष,

निवासी ग्राम चंदेनी, तहसील छपारा

जिला सिवनी म.प्र. .... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

साजिद खान पिता आ0 कादिर खान, उम्र 41 वर्ष,

निवासी राम मंदिर के बाजू मे छपारा तहसील छपारा

जिला सिवनी म.प्र. .... उत्तरवादी गण

504

मनोज साहू
रीडर
16 JAN 2018
अभिभाषक
अपर आयुक्त जबलपुर संभाग

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू0रा0सं0 1959

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चमारी–वृत्त तहसील छपारा जिला सिवनी म.प्र. द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 02/अ–70/16–17 पक्षकार साजिद खान विरूद्ध महाजन मे पारित आदेश दिनांक 12.06.17 से दुखित होकर पुनरीक्षणकर्ता निम्न लिखित तथ्यो एवं आधारो के यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है:–

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि उत्तरवादी द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.16 को लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से एक आवेदन पत्र भूमि ग्राम चंदेनी प0ह0नं 14 रा0नि0मं0 चमारीखुर्द तहसील छपारा जिला सिवनी मे स्थित भूमि खसरा नं. क्रमशः 14/2, 16/2, 53/2, 81, रकबा क्रमशः 0.31, 1.10, 1.37, 0.02 हे0 विवादित भूमि पर से कब्जा हटाने के लिए धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं0 के अंतर्गत आवेदन पत्र पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्तुत आवेदन पत्र की पौषणीयता के संबंध मे पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रकरण की पौषणीयता पर आपत्ति प्रस्तुत की जिसमे अभिलेखित किया गया कि उत्तरवादी भू माफिया व्यक्ति है और उसने पुनरीक्षणकर्ता की कजिन जिसकी उम्र 80 वर्ष की थी और वह सुनने समझने लायक भी नहीं

महाजन

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

एक / निगरानी / सिवनी / भूरा / 2018 / 1004

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री मनोज साहू उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार चमारी वृत्त तहसील छपारा जिला सिवनी के प्रकरण कमांक 02 / अ–70 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2017 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिरिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला सिवनी के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29 / 04 / 19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29 / 4 / 19 **कलेक्टर जिला सिवनी**	